राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड
'निर्वाचन भवन'
न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची - 834001
Website : sec.jharkhand.gov.in Email : jsec-jhr@nic.in
दूरभाष- 0651-2284012/9264474491

नगरपालिका(आम) निर्वाचन, 2025–26 के प्रयोजनार्थ हस्तपुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु मुद्रकों के चयन करने के निमित निविदा दस्तावेज

सामान्य शर्तः–

(i) मुद्रित की जाने वाली सामग्रियों का विवरण, आकार एवं विशिष्टियाँ निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

क्र0 सं0	मुद्रित की जाने वाली सामग्रियों का विवरण	पृष्ठों की संख्या/पुस्तकों की संख्या(कभर छोड़कर)	विशिष्टियाँ
1	निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु हस्तपुस्किा	लगभग 109/600 (छः सौ प्रति)	कभर B/W300 gsm Art board with lamination Inner page-B/W, 80gsm maplitho size-A4
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका	लगभग 295/1500 (एक हजार पाँच सौ प्रति)	
3	पीठासीन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका	लगभग 124/5000 (पाँच हजार प्रति)	
4	अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका की हस्तपुस्तिका	लगभग 108/25000 (पचीस हजार प्रति)	
5	Handbook of Election Observers	लगभग 49/600 (छः सौ प्रति)	
6	आदर्श आचार संहिता की हस्तपुस्तिका	लगभग 32/6500 (छः हजार पाँच सौ प्रति)	
7	महत्वपूर्ण निर्देशिका	लगभग 280/600 (छः सौ प्रति)	

ii) मुद्रित की जाने वाली सामग्री आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

02. मुद्रित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

03. तकनीकी शर्त निम्न हैः–

(i) निविदा के साथ अग्रधन के रुप में 1,00,000/–(एक लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के नाम से आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा एवं इसकी प्रति जेम पोर्टल पर अपलोड होगा।

(ii) निविदाता को निर्वाचन कार्य में प्रिटिंग से संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए, जिन्हें विगत 2 वित्तीय वर्षों में कम से कम 50 लाख का निर्वाचन कार्य करने का अनुभव हो। (प्रिटिंग से संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र/ कायदिश की प्रति संलग्न करें)

(iii) निविदादाता को आयकर दाता होने के लिए कम से कम अद्यतन तीन वर्षो का आयकर रिटर्न जमा करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। निविदादाता के द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र एवं Pan-Card upload किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(iv)निविदादाता को अद्यतन तीन वर्षो में औसत वार्षिक टर्नओवर 100.00 लाख(एक करोड़) रुपये से कम नहीं होना चाहिए। (जो गत तीन वर्षो का अंकेक्षित के Balance sheet आधार पर हो, जिसमें UDIN No. भी अंकित रहेगा)।

(v) निविदादाता के पास GST निबंधन प्रमाण पत्र होना चाहिए। GST Return filing प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

(vi) फर्म/ऑफसेट प्रेस से संबंधित कागजात Press Declaration upload करना होगा जो निविदादाता के नाम पर होना चाहिए।

(vii) निविदादाता का प्रेस राँची में होना आवश्यक है। इस संबंध में साक्ष्य के साथ Undertaking देना होगा।

(viii) फर्म किसी विभाग/ कार्यालय द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई हो, इस आशय का Notary द्वारा निर्गत शपत-पत्र देना होगा।

(ix) निविदा के साथ कागज/बोर्ड का नमूना संलग्न करना होगा । जिस पर कागज/बोर्ड नाम एवं GSM स्पष्ट रुप से अंकित करते हुये निविदादाता का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(x) निविदादाता को सक्षम प्राधिकार से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

(xi) सामग्री की आपूर्ति में विलंब होने पर कुल मुल्य का 0.5 प्रतिशत एवं अधिकतम 5 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी।

(xii) सामग्रियों को राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची, रातु, रोड़ स्थल पर आपूर्ति के लिए अन्य किसी प्रकार की (परिवहन एवं हथालन आदि) कोई राशि अलग से देय नहीं होगी।

(xiii) सफल निविदादाता को एकरारनामा के समय कुल मूल्य का 05 (पाँच) प्रतिशत सिक्युरिटी मनी बैंक ड्राफ्ट के रुप में सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के नाम से देना होगा।

04. वित्तीय शर्त निम्न हैः-

(i) उपरोक्त सभी पुस्तको के लिए पुस्तिकावार अलग-अलग दर (सभी करों सहित) अंक एवं शब्द दोनों में अंकित करना है।

05. निविदा के अन्य शर्तः-

(i) Two bid system अन्तर्गत निविदा दाता के द्वारा पोर्टल पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग- अलग अपलोड किया जाएगा। प्राप्त दर के आधार पर आयोग कार्यालय के अन्य पुस्तक/पुस्तिकाओं का भी मुद्रण कराया जा सकता है।

06. सफल निविदादाता को अंतिम मुद्रण के पूर्व निर्धारित विशिष्टियों के अनुरुप Proof Reading, Hard Copy में समर्पित करना होगा।

Scanned with CamScanner

07. चयनित फर्म/प्रेस को मुद्रण हेतु अंतिम निर्देश (Proof Reading के बाद) निर्गत तिथि से 15 दिनों के अन्दर मुद्रित पुस्तिका की आपूर्ति राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में करना होगा एवं उसके लिए अलग से काई शुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय पर पुस्तिका की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आदेश को रद्द कर दिया जायेगा तथा कार्य समय पर पूरा नहीं करने के एवज में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। मुद्रण की गुणवत्ता में कमी होने पर फर्म/प्रेस की Security money को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

08. राज्य निर्वाचन आयोग को किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18/11/25

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

Scanned with CamScanner